



आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक छिंदवाड़ा वनवृत्त, छिंदवाड़ा.

मध्य प्रदेश - 480001

Tel./Fax No.07162-245470

Email-ccfchhindwara@mpforest.org

:- तकनीकी स्वीकृति आदेश:-

छिंदवाड़ा, दिनांक 10/7/10 2021

क्रमांक/ 270

वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव तंसरा से नोनीछापर मार्ग लंबाई 7.5 कि०मी० के निर्माण हेतु प्रस्तावित एरिया 3.082 हे. के एवज में प्राप्त गैर वन भूमि खसरा क्रमांक 71/1 प.ह. न. 30, रकबा 3.082 हे. तहसिल तामिया, जिला छिंदवाड़ा अंतर्गत एरिया में वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रोजेक्ट की मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 621/03/नियम/चार, दिनांक 3-9-2003(बुक ऑफ फायनेन्सियल पावर्स 1995- भाग -2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत तकनीकी स्वीकृति निम्न उल्लेखित नियमों/शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	योजना/कार्य का नाम	कार्यस्थल का नाम/कक्ष क्रमांक	कार्य का रकबा (हे.)		प्रोजेक्ट की अवधि	प्राक्कलित राशि (लाख में)
				घेराव क्षेत्र	रोपण क्षेत्र		
पश्चिम छिंदवाड़ा	तामिया	वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव तंसरा से नोनीछापर मार्ग लंबाई 7.5 कि०मी० के निर्माण हेतु प्रस्तावित एरिया 3.082 हे.	खसरा क्रमांक 71/1 प.ह. न. 30, रकबा 3.082 हे. तहसिल तामिया, जिला छिंदवाड़ा	3.082	3.082	11 वर्ष	30.33 (तीस लाख तैतीस हजार रु.)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएँ। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावे।
- (2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे। स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जावे इसकी जवाबदारी वनमंडलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- (3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।
- (4) यह केवल तकनीकी स्वीकृति मात्र है प्रशासकीय स्वीकृति एवं बजट उपलब्ध होने पर ही कार्य करायेंगे।
- (5) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यों के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी करायेंगे।
- (6) कार्य प्रारंभ के पूर्व तैयार कार्यवार स्थल अनुरूप डीपीआर, तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेंगे।
- (7) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरों निर्धारित नाम्स एवं बजट प्रावधानों के अंतर्गत ही कराये जाये। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो स्वीकृति हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
- (8) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हो।
- (9) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भंडार कय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7,9,10 एवं 11 के भंडार नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भंडार कय नियमों के अंतर्गत अनुसूची 'अ' में सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग नियम अथवा भारत सरकार के गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रु. 1.00 लाख के अंदर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे कय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावे।
- (10) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी कय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। कय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रमाणी द्वारा अनिवार्यतः इंड्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
- (11) प्रस्तावित कार्य का वनमंडलाधिकारी/उपवनमंडलाधिकारी/वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमंडलाधिकारी, 50% उपवनमंडलाधिकारी एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
- (12) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमंडलाधिकारी की रहेगी।
- (13) शील्ड पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृति की प्रति, माप पस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र

- (14) वनमंडलाधिकारी सुनिश्चित करे कि प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व में किसी योजना के तहत कार्य तो नहीं कराया गया है।
- (15) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरान्त स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को भेजा जावे।
- (16) मुख्यतः कार्य मजदूरों से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरों की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
- (17) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावें।
- (18) किये गये कार्यों की प्रगति कक्षा इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, MIS पोर्टल, एवं Plantation Monitoring System में समय-समय पर की जावे।
- (19) वनमंडलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
- (20) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुये कार्य किया जावे।
- (21) स्वीकृत राशि से अधिक व्यय न किया जावे। वास्तविक व्यय अथवा स्वीकृत राशि, जो भी कम हो को मान्य किया जावेगा।
- (22) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी को भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा।
- (23) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.20 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
- (24) कूपों में उपचार कार्य Monitoable Indicator का Baseline data तैयार किया जाकर कार्य करावें।
- (25) भू-जल संरक्षण कार्य अंतर्गत यदि कोई नाला इसी कूप के अंदर से शुरू होता है तो उसमें लगातार चैक डेम बनाया जाय। यदि कोई नाला का उद्गम इस क्षेत्र के बाहर है परंतु कूप के अंदर से गुजर रहा है एवं नाले के प्रारंभ में दिगत वर्ष/वर्षों में चैक डेम बने हो तो लगातार चैक डेम बनाया जावे। यदि नाले का प्रारंभ कूप के बाहर है परंतु उसके प्रारंभ से चैक डेम नहीं बनते आ रहे हैं तो ऐसे नाले में चैक डेम नाले के बीच में नहीं बनाये जावे। इन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (26) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड-19 की महामारी के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यों के क्रियान्वयन के दौरान सुनिश्चित करें। कार्यों के क्रियान्वयन में उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु यदि कोई भ्रांति हो तो इस कार्यालय/मुख्यालय से स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिये जायें। उपरोक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

(के. के. भारद्वाज)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
जिला वन विभाग, छिंदवाड़ा वनवृत्त

छिंदवाड़ा दिनांक 07.10.2021

पृ०क्रमांक/माघि/
प्रतिलिपि:-

5660

वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिंदवाड़ा की ओर आपके द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
संलग्न :- अनुमोदित प्राक्कलन।

मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
जिला वन विभाग, छिंदवाड़ा वनवृत्त

प्रोजेक्ट रिपोर्ट

वनमण्डल का नाम	:	पश्चिम छिंदवाड़ा
परिक्षेत्र का नाम	:	तामिया
कक्ष क्रमांक	:	खसरा क्रमांक 71/1 प.ह. न
वृक्षारोपण का कुल रकबा(हेक्टेयर में)	:	3.082
रोपण योग्य रकबा (हेक्टेयर में)	:	3.082
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या	:	1000
ग्राम वन समिति का नाम	:	वन सुरक्षा समिति लहगडुआ
मजदुरी दर	:	335 मा. दि.

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का प्रथम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशी	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हे०	3.082	ha	0.45	प्रति हे०	1	465	जॉबदर
2	क्षेत्र सफाई (हे०)	2	ha	4.00	प्रति हे०	8	2680	जॉबदर
3	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	1	ha	12.50	प्रति हेक्ट	13	4188	जॉबदर
4	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चैनलिंग फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	1200	Rmt	2.4	Rmt	2880	964800	गणना के आधार पर
5	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	3082	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	8	2581	जॉबदर
6	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या						0	
	45x45x45 cm.	3082	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	154	51624	जॉबदर
7	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	84.25418	घ०मी०	1.5	प्रति घ०मी०	126	42338	बाजार दर
8	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	42.12709	घ०मी०	3	प्रति घ०मी०	126	42338	बाजार दर
9	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	3082	गड्ढे	1.5	प्रति सैकड़ा	46	15487	जॉबदर
10	2 हट निर्माण		L.S.			30	10050	अनुमानित
11	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पेंट, चूना आदि)					50	16750	अनुमानित
	योग					3443	1153299	
13	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत		हे०	24.5	प्रति हे०	0	0	अनुमानित
	कुल योग					3443	1153299	

योजना का द्वितीय वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (भा.दि.)		कुल मानव दिवस		रिमांक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	रोपणी कार्य							
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	3082	20000	10	10 / प्रति पौधा	709	237515	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	616	4000	10	10 / प्रति पौधा	142	47570	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						0	
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	3698	24000 पौधे	1.5	1.5 / 100	55.476	18584	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	3698	24000 पौधे	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	14.7936	4956	जॉबदर
3	लैंटाना मापिंग अप आपरेशन	20	20 हेक्टेयर	8	8 प्रति हेक्ट	160	53600	जॉबदर
4	रोपण						0	
	45x45x45 cm.	3082	20000	1.8	8 प्रति सैकड़ा	55.476	18584	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						0	
	पौधों में	3082	20000	1.25	1.25 / 100	38.525	12906	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						0	
	पौधों में	3082	20000	1	1 / 100	31	10325	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						0	
	पौधों में	3082	20000	1	1 / 100	0	0	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	3082	20000	0.6	0.6 प्रति सैकड़ा	0	0	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
	6 मीटर चौड़ी	4000	4000 mtr	3.35	3.35 / किमी	0	0	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	10000 mtr	2.25	2.25 / किमी	0	0	जॉबदर
10	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह		1x9			270	90450	अनुमानित
11	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	3082	20000	Lumsum		25	8375	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					25	8375	अनुमानित
योग:-						1526	511240	

योजना का तृतीय वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस		रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	308.2	2000	10	10 रुपये प्रति पौधा	71	23785	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						0	बाजार दर
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	308.2	2000	1.5	1.5 / 100	4.623	1549	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	308.2	2000	0.4	0.4 प्रति सैकड़ा	1.2328	413	जॉबदर
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					40	13400	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई						0	
	पौधों में	3082	20000	1.25	1.25 / 100	38.525	12906	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						0	
	पौधों में	3082	20000	1	1 मादि / 100	30.82	10325	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						0	
	पौधों में	3082	20000	1	1 मादि / 100	30.82	10325	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	3082	20000	0.6	0.6 मादि / सैकड़ा	18.492	6195	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
	6 मीटर चौड़ी	4000	4000 mtr	3.35	3.35 / किमी	13	4489	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	10000 mtr	2.25	2.25 / किमी	23	7538	जॉबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		9 माह			270	90450	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		20000		Lumsum	25	8375	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					0	0	अनुमानित
योग:-						566	189748	

योजना का चतुर्थ वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस		रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	308.2	पौधा	10	10 रुपये प्रति पौधा	36	12060	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						0	बाजार दर
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	308.2	पौधा	1.5	100	4.623	1549	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	308.2	पौधा	0.4	सैकड़ा	1.2328	413	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						0	
	पौधों में	3082	पौधा	1.25	100	39	12906	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						0	
	पौधों में	3082	पौधा	1	100	31	10325	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	13	4489	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	23	7538	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		9 माह			270	90450	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					0	0	अनुमानित
8	उपलब्धता अनुसार सिंचाई		20000		Lumsum	0	0	अनुमानित
	योग:-					417	139729	

क्षेत्र तैयारी वर्ष-योजना का पंचम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस		रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	चेनलिंग फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					0	0	अनुमानित
2	प्रथम निदाई						0	
	पौधों में	3082		1.25	100	0	0	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	0	0	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	0	0	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		9 माह			270	90450	अनुमानित
5	अन्य व्यय					0	0	अनुमानित
	योग:-					270	90450	
							0	

योजना का षष्ठम वर्ष

योजना का षष्ठम वर्ष						0	
कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस		रिमार्क
	मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1 आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	0	0	जॉबदर
3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	0	0	जॉबदर
2 सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		9 माह			270	90450	अनुमानित
3 अन्य व्यय					0	0	अनुमानित
योग:-					270	90450	
						0	

योजना का सप्तम वर्ष

[illegible]

योजना का अष्टम वर्ष

योजना का अष्टम वर्ष							0	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस		रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0	
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	0	0	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	0	0	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		9 माह			270	90450	अनुमानित
3	अन्य व्यय					0	0	अनुमानित
	योग:-					270	90450	
							0	

योजना का नवम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	0		रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई				
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						0		
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	0	0		जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	0	0		जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		9 माह			270	90450		अनुमानित
3	अन्य व्यय					0	0		अनुमानित
योग:-						270	90450		
							0		

0
0

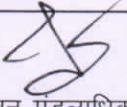
0

योजना का ग्यारवा वर्ष

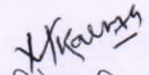
						0	
						0	
क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन					0	
	6 मीटर चौड़ी	4000	mtr	3.35	किमी	0	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	10000	mtr	2.25	किमी	0	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 1 सुरक्षा श्रमिक		9 माह			270	अनुमानित
3	अन्य व्यय					0	अनुमानित
					योग:-	270	90450

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	मजदुरी दर	योग राशि
प्रथम	3443	1	3443	335	1153299
द्वितीय	1526	1.06	1618	335	541915
तृतीय	566	1.1236	636	335	213201
चतुर्थ	417	1.191	497	335	166417
पंचम	270	1.2625	341	335	114193
षष्ठम	270	1.3382	361	335	121040
सप्तम	270	1.4185	383	335	128303
अष्टम	270	1.504	406	335	136037
नवम	270	1.594	430	335	144177
दशम	270	1.69	456	335	152861
ग्यारवा	270	1.79	483	335	161906
कुल योग			9055	335	3033349
कुल राशि रूपये			30.33 लाख रूपये		


वन मंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाडा वन मंडल


उपवन मंडलाधिकारी
तामिया उपवनमंडल


परिक्षेत्र अधिकारी
तामिया